न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, अरनोद जिला– प्रतापगढ़ {राज0}

पिठासीन अधिकारीः– श्री दिपैन्द्रसिंह राठौड़ (RAS)

प्रकरण सं. 13/2014 दायर दिनांक 05/06/2014

1. श्री देवीलाल पिता रामचन्द्र जाति कलात आयु 60 वर्ष
2. कन्हैयालाल पिता रामचन्द्र जाति कलाल आयु 57 वर्ष
3. सुन्दरलाल पिता रामचन्द्र जाति कलाल आयु 54 वर्ष
4. बसंतीबाई पिता रामचन्द्र जाति कलाल आयु 52 वर्ष
5. ललीताबाई पिता रामचन्द्र जाति कलाल आयु 49 वर्ष
6. सवित्रीबाई पिता रामचन्द्र जाति कलाल आयु 45 वर्ष
7. हेमलता पिता रामचन्द्र जाति कलाल आयु 40 वर्ष
8. लालुराम पिता हरिराम जी जाति कलाल आयु 70 वर्ष
9. लाभचन्द्र पिता हरिराम जी जाति कलाल आयु 67 वर्ष
10. डाडमचन्द्र पिता हरिराम जी जाति कलाल आयु 64 वर्ष

सभी निवासीयान नागदी तह0 अरनोद जिला प्रतापगढ़ राज0।

वादी

बनाम

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, प्रतापगढ़
2. श्रीमान् तहसीलदार महोदय, अरनोद
3. श्री बगदीराम पिता मिठ्ठु लाल दरोगा
4. श्री भारत पिता मिठ्ठु लाल दरोगा
5. श्री भेरूलाल पिता रूघनाथ ढोली
6. श्री राधेश्याम पिता रूघनाथ कुम्हार
7. श्री उंकारलाल पिता रूघनाथ कुम्हार
8. श्री वरदीचन्द्र पिता रूघनाथ कुम्हार
9. श्री कन्हैयालाल पिता रूघनाथ कुम्हार
10. श्री केशिया पिता भाणा जी जोगी
11. श्री तुलसीराम पिता लख्मीराम जी ब्राहमण
12. जगदीशचन्द्र पिता लख्मीराम जी ब्राहमण

सभी निवासीयान नागदी तह0 अरनोद जिला प्रतापगढ़ राज0

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 रा0टी0ए0 136 ले0रे0ए0

उपस्थित :– श्री अर्जुन वैष्णव, अभिभाषक वादी

–2–

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

–: निर्णय :–

वादीगण की ओर से एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण धारा 88, 89, 188 रा0टी0ए0 एवं 136 ले0रे0ए0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का एक संयुक्त सामलाती खाता मौजा नागदी प.ह. फतेहगढ़ में स्थित होकर जिसके खाता कमांक 88 एवं आराजी नं. 463 रकबा 0.44 है0 दर्ज रिकॉर्ड हैं।

वादीगण का सजरा खानदान निम्नवत हैं :–

हरिराम पिता नाथु जी

1. रामचन्द्र जी (पुत्र)(फोत)
2. लालुराम जी (पुत्र)
3. लाभचन्द्र जी(पुत्र)
4. डाडमचन्द्र जी (पुत्र)

रामचन्द्र जी (पुत्र)(फोत) की संतान:

1. देवीलाल (पुत्र)
2. कन्हैयालाल (पुत्र)
3. सुन्दरलाल (पुत्र)
4. बसंतीबाई (पुत्री)
5. ललीताबाई (पुत्री)
6. सावित्रीबाई (पुत्री)
7. हेमलता (पुत्री)

उक्त सजरा अनुसार श्री हरिराम जी की मृत्यु के पश्चात नामान्तरण सं. 66 से रामचन्द्र, लालुराम, लाभचन्द्र, डाडमचन्द्र का नाम रेवेन्यु रिकॉर्ड में दर्ज हुआ और रामचन्द्र जी की मृत्यु के पश्चात देवीलाल, कन्हैयालाल, सुन्दरलाल, बसंतीबाई, ललीताबाई, सावित्रीबाई एवं हेमलताबाई का नाम विरासत से दर्ज रिकॉर्ड हुआ।

वादीगणो ने अपने वाद पत्र में निवेदन किया कि संवत 2048–2051 तक के रोटेशन में तो डाडमचन्द्र जी का नाम चला आ रहा हैं था लेकिन अगले रोटेशन की जमाबन्दी में संवहन से डाडमचन्द्र जी का नाम दर्ज होने से छुट गया और आज दिन तक उनका नाम जमाबन्दी में दर्ज रिकॉर्ड नही हो पाया जिसे भी दर्ज किया जाना आवश्यक हैं।

वादीगणो ने अपने वाद पत्र में निवेदन किया कि संवत 2028–31 सेटलमेन्ट से पूर्व पुराने आराजी नं. 378, 379, 380 कुल रकबा 40 बिघा 6 बिस्वा किस्म बीड प्रथम में से आवंटन से उक्त कुल रकबे में से 1/10 हिस्सा यानि 4 बिघा भूमि वादीगण के पिता/दादा श्री हरिराम पिता नाथु जी कलाल को आवंटित हुई थी। जिसका विवरण संवत 2028–31 के रोटेशन की जमाबन्दी में खाता कमांक 127/1 पर अन्य खातेदारान के साथ दर्ज रिकॉर्ड हैं। उक्त रोटेशन में अन्य खातेदारान मिठ्ठु पिता गिरधारी दरोगा को 1/20 हिस्सा यानि 2 बिघा। इसी प्रकार श्री नाथु पिता गिरधारी दरोगा को उक्त में से 1/40 हिस्सा यानि 1 बिघा। इसी प्रकार रूघनाथ पिता धुला कुम्हार को 1/20 हिस्सा यानि 2 बिघा और केशिया पिता भाणा जोगी को 1/20 हिस्सा यानि 2 बिघा और लख्मीराम पिता उंकार ब्रहमण को 1/8 हिस्सा यानि 5 बिघा जमीन आवंटित हुई थी।

–3–

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

वादीगणो ने अपने वाद पत्र में निवेदन किया कि वादीगण को आवंटित भुमि के वर्तमान आराजी नं. 463 रकबा 0.44 है0 दर्ज रिकॉर्ड हुआ। जो कि पुराने की तुलना में 0.40 हैं0 कम हैं। इसी प्रकार मिठ्ठु पिता गिरधारी दरोगा को आवंटित आराजी के वर्तमान नं. 461 रकबा 0.62 हैं0 दर्ज रिकॉर्ड हुआ जो कि पुराने की तुलना में 0.20 हैं0 अधिक हैं, इसी प्रकार नाथु पिता गिरधारी को आवंटित आराजी के वर्तमान नं. 462 रकबा 0.27 हैं0 दर्ज रिकॉर्ड हुआ जो कि पुराने की तुलना में 0.06 हैं0 अधिक हैं। इसी प्रकार रूघनाथ पित धुला कुम्हार को आवंटित आराजी के वर्तमान नं. 466 रकबा 0.45 हैं0 दर्ज रिकॉर्ड हुआ जो कि पुराने की तुलना में 0.03 हैं0 अधिक हैं। इसी प्रकार केशिया पिता भाणा जोगी को आवंटित आराजी के वर्तमान नं. 467 रकबा 0.60 हैं0 दर्ज रिकॉर्ड हुआ जो कि पुराने की तुलना में 0.18 हैं0 अधिक हैं। इसी प्रकार लख्मीराम पिता उंकार ब्राहमण को आवंटित आराजी के वर्तमान नं. 699 रकबा 1.26 हैं0 दर्ज रिकॉर्ड हुआ जो कि पुराने की तुलना में 0.11 हैं0 अधिक हैं। इस प्रकार उक्त आराजीयात वादीगण की आराजी से लगती हुई हैं।

वादीगणो ने अपने वाद पत्र में निवेदन किया कि वादीगण पूर्व आवंटित भूमि के हिसाब से वर्तमान में भी 4 बिघा याानि 0.84 हैं0 भूमि पर मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करते आ रहे हैं लेकिन सेटलमेन्ट विभाग की गलती से वादीगण का रकबा कम कर दिया गया और उपर वर्णित चरण सं. 7 में वर्णित खातेदारान का रकबा बढा दिया गया हैं। उक्त खातेदारान का रकबा कम किया जाकर वादीगण के रकबे की कमी पूर्ति किया जाना आवश्यक हैं और उसी अनुसार नक्शा ट्रेश में भी संशोधन किया जाना आवश्यक हैं।

वादीगणो ने अपने वाद पत्र में निवेदन किया कि वर्तमान आराजी 461 मिठ्ठुलाल पिता गिरधारी जी दरोगा की मृत्यु के पश्चात विरासत से बगदीराम, भारत पिता मिठ्ठ लाल दरोगा के नाम से दर्ज रिकॉर्ड हुआ। इसी प्रकार आराजी नं. 462 नाथु पिता गिरधारी दरोगा ने अपने जीवनकाल में भेरूलाल पिता रूघनाथ ढोली को बेचान कर दी। इसी प्रकार आराजी नं. 466 रूघनाथ पित धुला कुम्हार की मृत्यु के पश्चात राधेश्याम, उंकारलाल, वरदीचन्द्र, कन्हैयालाल पिता रूघनाथ कुम्हार के दर्ज रिकॉर्ड हुआ। इसी प्रकार आराजी नं. 467 केशिया पिता भाणा जी जोगी के नाम से दर्ज हैं। इसी प्रकार आराजी नं. 699 लख्मीराम पिता उंकार जी ब्राहमण की मृत्यु के पश्चात विरासत से तुलसीराम, जगदीशचन्द्र पिता लख्मीराम जी ब्राहमण के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुआ। उक्त सभी नागदी में निवासरत हैं।

वादीगणो ने अपने वाद पत्र में निवेदन किया कि वादीगण अधिकारी हैं कि आराजी नं. 463 रकबा 0.44 हैं0 में हुई कमी को उपर वर्णित खातेदारान की आराजी से कम किया जाकर मेरे पक्षकारान की आराजी में 0.40 हैं0 रकबा अधिक जोडा जाकर 4 बिघा यानि 0.84 हैं0 रेवेन्यु रिकॉर्ड में संशोधित किया जाये और वादीगणो के नाम से रेवेन्यु रिकॉर्ड में दर्ज कर खातेदार काश्ताकार घोषित किया जावें।

वादीगणो ने अपने वाद पत्र में निवेदन किया कि वादीगण अधिकारी हैं कि " संवत 2048–51 के पश्चात के रोटेशन में संवहन से श्री डाडमचन्द्र जी का नाम रेवेन्यु रिकॉर्ड में दर्ज होने से छुट गया हैं। जिसे भी दुरस्त किया जाकर वर्तमान रेवेन्यु रिकॉर्ड में वादीगणो के साथ सयुंक्त खातेदार के रूप में डाडमचन्द्र जी का नाम दर्ज रिकॉर्ड किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद, जिला प्रतापगढ़(राज.)

Scanned with CamScanner

वादीगणो ने अपने वाद पत्र में निवेदन किया कि वादीगण अधिकारी हैं कि प्रतिवादीगणो के इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगणो के नाम से जो अधिक आराजी दर्ज हुई हैं उसमें किसी प्रकार की हस्तान्तरण यथा रहन बय, बक्षिस इत्यादि ना करे, मदाखलम मजाहमद ना करे, वादीगणो से उक्त बाबत लडाई झगडा ना करे उक्त कृत्य ना स्वयं करें और ना ही अपने नौकर ऐजेन्ट, रिश्तेदार या दिगर प्रतिनिधी से ही करावें।

वादीगणो ने अपने वाद पत्र में निवेदन किया कि उक्त बाबत् वादीगण द्वारा धारा 80 CPC का सूचना पत्र प्रतिवादीगणो को अपने अधिवक्ता के मार्फत दि. 5/3/2014 को दिया गया था जिसका प्रतिवादीगणो द्वारा कोई जवाब दिया और ना ही उक्त पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई और अवधि भी निकल चुकी हैं इसलिए वादीगण को उक्त वाद पेश करना हुआ हैं और कारण इस वजह से प्रतिदिवस उत्पन्न हैं।

वादीगणो ने अपने वाद पत्र में निवेदन किया कि वादीगण अधिकारी हैं कि उक्त अनुसार रेवेन्यु रिकॉर्ड में भुमि की कमी पूर्ति कर वादीगणो के नाम से रेवेन्यु रिकॉर्ड में दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें और उक्त अनुसार नक्शे में भी वादीगणो की आराजी में बढाकर तरमीम किया जावें।

प्रतिवादी कमांक 4 व 10 की ओर से श्री राजैन्द्रसिंह झाला ने वकालत नामा पेश किया जो शामिल फाईल किया गया लेकिन प्रतिवादी कमांक 4 व 10 की ओर से कोई जवाब पेश नही किया गया। इस वजह से पर्याप्त अवसर देने के बाद दिनांक 21/06/2016 को जवाब बन्द किया गया। इसी प्रकार प्रतिवादी कमांक 5, 7, 8, 9 व 12 की दिनांक 20/06/2014 को तामिल प्राप्त होने के बाद भी उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। इसी प्रकार दिनांक 26/03/2015 को प्रतिवादी कमांक 1, 2, 3 व 6 की तामिल प्राप्त होने के बाद भी उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। इसी प्रकार दिनांक 27/11/2015 को प्रतिवादी कमांक 11 की तामिल होने के बावजुद भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। इस प्रकार प्रतिवादीगणो की ओर से किसी प्रकार का जवाब नही देने एवं एकपक्षीय कार्यवाही होने से पत्रावली पर एकपक्षीय साक्ष्य वादी हेतु पेशी नियत की गई।

वादीगणो द्वारा दिनांक 04/10/2016 को वादी लाभचन्द पिता हरिराम, डाडमचन्द पिता हरिराम, गवाह लाभचन्द पिता गुलाब जी, रामचन्द्र पिता गुलाब जी के शपथ–पत्र पेश किये गये और दिनांक 06/06/2017 को डाडमचन्द ने उपस्थित होकर अपने बयान कमलबद्ध करवाये व जो दस्तावेज पेश किये गये उन्हे प्रदर्शित करवाया। वादी वकील की एकपक्षीय बहस समायत की गई व बहस समाप्त की गई।

वकील वादीगण द्वारा धारा 80 CPC का नोटिस तहसीलदार व कलक्टर महोदय को दिया गया तथा जिसकी नकल पेश की गई जो कि प्रदर्श कमांक 1 हैं। इसी प्रकार प्रतिवादीगणो को दिये गये धारा 80 CPC के नोटिस की रसीदे पेश की गई जो कि प्रदर्श

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

कमांक 2 हैं। इसी प्रकार संवत् 2036 का ट्रेश नक्शा पेश किया गया जो कि प्रदर्श कमांक 3 हैं। इसी प्रकार संवत् 2008 का नक्शा ट्रेश पेश किया गया जो कि प्रदर्श कमांक 4 हैं। मिलान क्षैत्रफल की नकल प्रस्तुत की गई जो कि प्रदर्श कमांक 5 हैं। संवत् 2028–31 की जमाबन्दी प्रस्तुत की गई जो कि प्रदर्श कमांक 6 हैं। संवत् 2039 के आधार वर्ष की जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत की गई जो कि प्रदर्श कमांक 7 हैं। इसी प्रकार संवत् 2052–55 की जमाबन्दी पेश की गई जो कि प्रदर्श कमांक 8 हैं। संवत् 2048–51 की जमाबन्दी पेश की गई जो कि प्रदर्श कमांक 9 हैं। संवत् 2028 की जमाबन्दी पेश की गई जो कि प्रदर्श कमांक 10 हैं। मिलान क्षैत्रफल की नकल पेश की गई जो प्रदर्श कमांक 11 हैं। एक अन्य ट्रेश नक्शा जो कि प्रदर्श कमांक 12 हैं। वादीगण द्वारा नये खाता सं. 62, 150, 90, 96, 165, 167, 50, 34, 192, 140, 75, 210, 106 की जमाबन्दी की नकले पेश की गई जो कि प्रदर्श कमांक 13 लगायात 25 हैं। वादीगणो द्वारा गवाह डाडमचन्द पिता हरिराम चौधरी PW1, लाभचन्द पिता हरिराम चौधरी PW2, लाभचन्द पिता गुलाब मेघवाल PW3, रामचन्द्र पिता गुलाब मेघवाल PW4 के शपथ–पत्र पेश किये गये एवं डाडमचन्द के बयान कलमबद्ध कराये गये। प्रस्तुत दस्तावेज शपथ पत्र एवं वाद पत्र का अवलोकन किया गया एवं वादीगण के वकील की बहस पर मनन किया गया। निर्णय निम्नानुसार हैं:–

वादी वकील द्वारा दिनांक 11/03/2014 को धारा 80 CPC का सूचना पत्र प्रतिवादीगणो को दिया गया जिसकी पर्याप्त अवधि निकलने के बाद भी प्रतिवादीगणो द्वारा किसी प्रकार का जवाब अथवा कार्यवाही नही की गई और प्रस्तुत वाद पत्र में प्रतिवादीगणो के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी हैं। इनके द्वारा किसी प्रकार का जवाब वाद पत्र में नही दिया गया और ना ही किसी प्रकार का वाद पत्र के विरूद्ध बचाव किया गया। वादीगणो ने अपने खाते की जमाबन्दी प्रस्तुत की हैं जो कि प्रदर्श कमांक 25 हैं और संवत् 2028–31 के खाता कमांक 127/1 की जमाबन्दी की प्रति पेश की गई हैं। खाता सं. 25 में वादीगणो के नाम से आराजी नं0 463 रकबा 0.44 हैं0 दर्ज रिकॉर्ड हैं एवं मिलान क्षैत्रफल एवं संवत् 2028–31 की जमाबन्दी अनुसार पुराने आराजी नं. 378, 379, 380 रकबा 40 बिघा 6 बिस्वा किस्म बीड प्रथम से आराजी नं0 463 बने हैं जो कि वर्तमान में वादीगणो के नाम दर्ज रिकॉर्ड हैं और पुरानी जमाबन्दी अनुसार आराजी नं. 378, 379, 380 रकबा 40 बिघा 6 बिस्वा में से 1/10 हिस्सा यानि वर्तमान अनुसार 4 बिघा भूमि अथवा 0.84 हैं0 भूमि वादीगणो के पिता/दादा श्री हरिराम पिता नाथु जी कलाल के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई। इसी प्रकार मिलानशिट एवं पुरानी जमाबन्दी अनुसार वर्तमान आराजी नं. 461, 462, 466, 467 पुराने आराजी नं. 378, 379, 380 से मिलकर बने हैं और पुरानी जमाबन्दी अनुसार उक्त आराजीयात प्रतिवादी कमांक 3 लगायात 10 के पिता/दादा के नाम आवंटन हुए थे। वाद पत्र के अवलोकन ओर संवत् 2028–31 की जमाबन्दी की प्रति एवं मिलानशिट से स्पष्ट विदित होता हैं कि संवत 2028–31 सेटलमेन्ट से पूर्व पुराने आराजी नं. 378, 379, 380 कुल रकबा 40 बिघा 6 बिस्वा किस्म बीड प्रथम में से आवंटन से उक्त कुल रकबे में से 1/10 हिस्सा यानि 4 बिघा भूमि वादीगण के पिता/दादा श्री हरिराम पिता नाथु जी कलाल को आवंटित हुई थी। जिसका विवरण संवत 2028–31 के रोटेशन की जमाबन्दी में खाता कमांक 127/1 पर अन्य खातेदारान के साथ दर्ज रिकॉर्ड हैं। उक्त रोटेशन में अन्य खातेदारान मिठ्ठु पिता गिरधारी दरोगा को 1/20 हिस्सा यानि 2 बिघा। इसी प्रकार श्री नाथु पिता

–6–

Scanned with CamScanner

गिरधारी दरोगा को उक्त मैं से 1/40 हिस्सा यानि 1 बिघा। इसी प्रकार रूघनाथ पिता धुला कुम्हार को 1/20 हिस्सा यानि 2 बिघा और केशिया पिता भाणा जोगी को 1/20 हिस्सा यानि 2 बिघा और लख्मीराम पिता उंकार ब्रहमण को 1/8 हिस्सा यानि 5 बिघा जमीन आवंटित हुई थी। वादीगण को आवंटित भुमि के वर्तमान आराजी नं. 463 रकबा 0.44 है0 दर्ज रिकॉर्ड हुआ। जो कि पुराने की तुलना में 0.40 हैं0 कम हैं। इसी प्रकार मिठ्ठु पिता गिरधारी दरोगा को आवंटित आराजी के वर्तमान नं. 461 रकबा 0.62 हैं0 दर्ज रिकॉर्ड हुआ जो कि पुराने की तुलना में 0.20 हैं0 अधिक हैं, इसी प्रकार नाथु पिता गिरधारी को आवंटित आराजी के वर्तमान नं. 462 रकबा 0.27 हैं0 दर्ज रिकॉर्ड हुआ जो कि पुराने की तुलना में 0.06 हैं0 अधिक हैं। इसी प्रकार रूघनाथ पित धुला कुम्हार को आवंटित आराजी के वर्तमान नं. 466 रकबा 0.45 हैं0 दर्ज रिकॉर्ड हुआ जो कि पुराने की तुलना में 0.03 हैं0 अधिक हैं। इसी प्रकार केशिया पिता भाणा जोगी को आवंटित आराजी के वर्तमान नं. 467 रकबा 0.60 हैं0 दर्ज रिकॉर्ड हुआ जो कि पुराने की तुलना में 0.18 हैं0 अधिक हैं। इसी प्रकार लख्मीराम पिता उंकार ब्राहमण को आवंटित आराजी के वर्तमान नं. 699 रकबा 1.26 हैं0 दर्ज रिकॉर्ड हुआ जो कि पुराने की तुलना में 0.11 हैं0 अधिक हैं।

उपरोक्त विवेचन एवं पुराने–नये ट्रेश नक्शे, मिलानशिट व पुरानी–नई जमाबन्दी अनुसार एवं गवाहो के बयान शपथ पत्र अनुसार वादीगणो का वाद वादीगणो के पक्ष में डिक्री किया जाता हैं। वादीगणो की आराजी में 0.40 हैं0 भूमि की कमी हुई हैं एवं प्रतिवादी कमांक 1 लगायात 10 की आराजी रकबे में बढोतरी हुई हैं। इसलिए न्यायालय इस निश्कर्ष पर पहुचा कि आराजी नं. 461, 462, 466 ,467 एवं 699 में से वृद्धि अनुसार 0.40 हैं0 भूमि कम कर वादीगणो के आराजी नं. 463 रकबा 0.44 हैं0 में मिलाया जाकर वादीगणो का कुल रकबा 0.84 हैं0 किये जाना उचित प्रतित होता हैं। चुकि प्रतिवादीगणो के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी हैं और गवाहान के शपथ पत्र भी वादीगणो के पक्ष में हैं। इसलिए आराजी नं. 461, 462, 466, 467 एवंम 699 में हुई वृद्धि अनुसार 0.40 हैं0 भूमि कम कर वादीगणो के आराजी नं. 463 रकबा 0.44 हैं0 में मिलाकर कुल रकबा 0.84 हैं0 किये जाने का आदेश दिया जाता हैं और उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे में संशोधन किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। नक्शे में 461, 462, 466, 467 एवंम 699 में वृद्धि अनुसार सीमा में कमी कर वादीगणो की आराजी नं0 463 के नक्शे की सीमा में वृद्धि कर तरमीम कराये जाने का आदेश दिया जाता हैं और उक्तानुसार वादीगणो को कमी रकबे 0.40 हैं0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं चुकि नक्शे एवं मौके अनुशार वादी अराजी नम्बर 462 मै से 0.26 है0 एवंम आराजी नम्बर 466 मे से 0.03 है0 एवंम आराजी नम्बर 467 मै से 0.04 है0 एवंम आराजी नम्बर 699 मे से 0.07 है0 भुमि पर वर्तमान मे कृर्षि काश्त कर रहा हैं। इसीप्रकार आराजी नम्बर 461 मिठठु पिता गिरधारी दरोगा के नाम दर्ज है जिस मे से 0.20 है0 भुमि पर वर्तमान में सें नाथु पिता गिरधारी दरोगा कृर्षि काश्त कर रहा है इसलिए आराजी नम्बर 461 में सें 0.20 है0 अधिक भुमि नाथु पिता गिरधारी के नाम दर्ज किया जाना उचित होगा और आराजी नम्बर 462 जोकि नाथु पिता गिरधारी दरोगा के नाम दर्ज है उसमें से 0.26 है0 भुमि वादीगणों के नाम उचित होना प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद, जिला प्रतापगढ़(राज.)

Scanned with CamScanner

उपरोक्त निवेचन के आधार पर आराजी नम्बर 462 रकबा 0.27 है0 में सें 0.26 है0 आराजी नम्बर 466 रकबा 0.45 है0 में सें 0.03 है0 एवंम आराजी नम्बर 467 रकबा 0.60 है0 में सें 0.04 है0 एवंम आराजी नम्बर 699 रकबा 1.26 है0 में सें 0.07 है0 का वादीगणों को खातेदार काश्त कार घोषित किया जाता है एवंम आराजी नम्बर 461 रकबा 0.62 है0 में सें 0.20 है0 नाथु पिता गिरधारी दरोगा अथवा वर्तमान खातेदार के नाम दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है और प्रतिवादीगणो को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वह वादीगण की उक्त आराजी को लेकर भविष्य में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमद नही करे, लडाई झगडा ना करे, उक्त कृत्य ना स्वयं करे और ना ही अपने किसी नौकर, एजेन्ट, रिश्तेदार अथवा दिगर प्रतिनिधी से ही करावे। रही बात वादी डाडमचन्द पिता हरिराम जी के नाम जोडने की तो वर्तमान रिकॉर्ड में डाडमचन्द का नाम राजस्व लोक अदालत में जुड चुका हैं। इसलिए उक्त पर निर्णय की आवश्यकता नही हैं।

उक्तानुसार डिक्री वादीगणो के पक्ष में जारी की जाकर तहसीलदार अरनोद को पालनार्थ तहरीर जारी हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद, जिला प्रतापगढ़(राज.)

Scanned with CamScanner